

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उमडत पर क्युलर कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में यत्र उत्तर देया गे तो यत्र सम्बन्ध एउ विनायक अउर विनायक वाले विषयों से विनायक हो।



जन्म : कुलसचिव
दूरभाष : 0091-0751-2442001
कुलसचिव
2442462 (विनायक)
फैक्स : 0091-0751-2541750
E-mail :
jwug_gwalior@rediffmail.com
Website
http://www.jwaji.edu

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बन्धता/2012/ 5692

दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2012 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार प्रो. रमेशलाल देवपुरिया महाविद्यालय, भिण्ड को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संवाहित बी.ए. (हिन्दी अंग्रेजी संस्कृत समाज शास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र), बी.एस.-सी (अभिलेख, आ.प्र., भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, जनस्पति विज्ञान), एम.ए. (हिन्दी, भूगोल, अंग्रेजी) एवं एम.एस.-सी. (जन्तु विज्ञान, गणित) बी.कॉम. -एलेब./कम्प्यूटर -तृतीय, बी.एस.सी.- तृतीय-अति.वि. कम्प्यूटर साइंस, एम.ए.-पूर्णाङ्क-संस्कृत (समाजशास्त्र, इतिहास), पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बन्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय तीन माह के अन्दर 28(17) के अंतर्गत सभी विषयों में नियुक्ति करे। नियुक्ति करने के पश्चात् इस बाबत एक शपथ पत्र विश्वविद्यालय में जमा करे अन्यथा अगले वर्ष की सम्बन्धता पर विचार न किया जावे।
2. पयाम हतार जी पुस्तकें द्रव्य जी जावे।
3. बी.एस.-सी. से संबंधित लॉगबुक साफ़वेयर क्रम किये जावे।
4. परिचियम 28(17) का पालन किया जावे।
5. सीट संख्या पी.जी.डी.सी.ए. -120, एम.ए. (संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र) -50 प्रत्येक

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्रो. रमेशलाल देवपुरिया महाविद्यालय, भिण्ड
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संवालयक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर चंवल संभाग, मोती गजल परिसर, ग्वालियर।
4. उप कुलसचिव (परिशा./जोषजीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परिशा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं अनुरोध कार्यवाही हेतु।


सहायक कुलसचिव (सम्बन्धता)